राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ. 3 (ख) (1) अलेसे–।।/ 9817–21 दिनांक :– 07–06–13

आदेश संख्या 95 /2013–14

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के नियम 1963 के नियम 29 (2ए) के अन्तर्गत कनिष्ठ लेखाकार से लेखाकार पद पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदौन्नति समिति वर्ष 2010–11 की बैठक में श्री मोहन सिंह कनिष्ठ लेखाकार (632/86) जन्म तिथी 10.07.1955 के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के तहत विचाराधीन जांच प्रकरण में विभागीय आदेश संख्या 1134–17 दिनांक 7.3.2013 के द्वारा आरोपों से मुक्त करते हुये प्रकरण समाप्त कर दिये जाने के कारण विभागीय पदौन्नती समिति 2010–11 के द्वारा श्री मोहन सिंह, कनिष्ठ लेखाकार (632/81) को 2010–11 की रिक्ती के विरूद्ध लेखाकार के पद पर चयन मानते हुए नियमित चयन आदेश तथा पदस्थापन आदेश जारी किये जाने की अनुशंषा की गई हैं।

श्री मोहन सिंह की वरिष्ठता वर्ष 2010–11 में चयनित लेखाकारों की सूची में श्री केशवदेव पचोरी (मेरिट नम्बर 631/86) तथा श्री विष्णु कुमार पाठक (मेरिट नम्बर 633/86) के मध्य रहेगी।

श्री मोहन सिंह को लेखाकार के पद पर चयनित वर्ष की अन्तिम तिथि 31.03.2011 से इस आदेश की पालना में वास्तविक कार्यग्रहण तिथि तक पदौन्नति पद की वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण हेतु केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा।

श्री मोहन सिंह कनिष्ठ लेखाकार वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल जयपुर को पदौन्नति पर वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल जयपुर में लेखाकार के अस्थाई क्रमोन्नत पद पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है ।

उक्त आदेश विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन/ लम्बित प्रकरणों के निर्णयाधीन होगा ।

निदेशक

क्रमांकः– एफ. 3 (ख) (1) अलेसे–।।/ 9817–21 दिनांक :– 07–06–13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर
2. श्री मोहन सिंह कनिष्ठ लेखाकार वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल जयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–।।) को भेजकर निवेदन है कि श्री मोहन सिंह कनिष्ठ लेखाकार की निजी पत्रावली पूर्ण कर भिजवाने की व्यवस्था करावें ।
4. निजी सहायक निदेशक महोदय
5. गोपनीय/डी.पी.सी./कम्प्युटर अनुभाग
6. निजी पत्रावली/ रक्षित पंजिका

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–I)